रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-510/2023/1518/22-2-2023-17(12)/2017

लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र (बन्दी संख्या-15729) पुत्र श्री भूले सिंह, निवासी ग्राम-लालपुर, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1054/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-04, मेरठ के आदेश दिनांक 25.08.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया, द्वारा दिनांक 25.10.2022 तक 23 वर्ष, 02 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष, 06 माह, 28 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा तथा संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-510/2023/1518(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-36/2002 राजकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 व 06.02.2023 के सन्दर्भ में।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।